

न्यायालय:- तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, बालाघाट, जिला-बालाघाट (म0प्र0)
{ पीठासीन अधिकारी : अपर्णा आर.शर्मा }

व्यवहार वाद क्र. 124-ए/2017

संस्थापन दि. 25.09.2017

फाईलिंग नं. आर.सी.एस.ए/703/2017

1. बलविंदर कौर वल्द हरदयाल सिंह धंजल, उम्र 49 वर्ष,
निवासी सेक्टर 2 उदया सासाईटी टाटी बंध रायपुर,
तहसील व जिला रायपुर छत्तीसगढ़,
2. श्रीमती अमरजीत कौर विरदी पति अमरिक सिंह, उम्र 55 वर्ष,
निवासी गली नं. 4/16 निरंकारी
कालोनी दिल्ली**आवेदकगण/वादीगण**

// विरुद्ध //

1. श्रीमती कृष्णा कौर नरडे पति निरंजन सिंह, उम्र 73 वर्ष,
2. अमृत सिंह पिता निरंजन सिंह, उम्र 50 वर्ष,
3. निर्मल सिंह नरडे पिता स्व. निरंजन सिंह, उम्र 47 वर्ष,
4. राजेन्द्र सिंह नरडे पिता निरंजन सिंह, उम्र 45 वर्ष,
कं. 1 से 4 निवासी सरदारजी बाड़ा वार्ड नं. 11 भटेरा रोड,
बालाघाट तहसील व जिला बालाघाट,
5. श्री बक्शीश सिंह पिता स्व. निरंजन सिंह, उम्र 40 वर्ष,
निवासी गुरुनानक इंजीनियरिंग वर्क्स ट्रांसपोर्ट नगर
टाटीबंध रायपुर तहसील व
जिला रायपुर(छत्तीसगढ़).....**अनावेदकगण/ प्रतिवादीगण**

1. वादीगण/आवेदकगण द्वारा श्री वाय.पी.चौबे अधिवक्ता।
2. प्रतिवादी/अनावेदक कं. 3 द्वारा श्री विमल राहंगडाले अधिवक्ता।
3. प्रतिवादी कं. 1, 4, 5 द्वारा श्री सलीम बेग अधिवक्ता।
4. प्रतिवादी कं. 2 श्री एस.के.बेग अधिवक्ता।

// आदेश //

{ आज दिनांक 15.12.2017 को पारित }

1. इस आदेश द्वारा वादीगण/आवेदकगण की ओर से पेश आवेदन पत्र आदेश-39 नियम-1 व 2 तथा धारा-151 सी.पी.सी. आई.ए.नम्बर-1 का निराकरण किया जा रहा है।
2. वादीगण/आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन आई.ए.नम्बर-1 संक्षेप में इस प्रकार है कि निरंजनसिंह की मृत्यु दिनांक 01.08.2017 को होने के उपरांत प्रतिवादी/अनावेदक कं. 2 से 5 एक सलाह कर निरंजन सिंह की बहुमूल्य संपत्ति को हड़पने की दुर्भावना से प्रेरित होकर उपरोक्त वसीयत दिनांक 14.10.2014 को आधार बनाकर राजस्व प्रलेखों में अपना नाम दर्ज कराने का षडयंत्र कर रहे हैं,

उपरोक्त बहुमूल्य संपत्ति जो मृतक निरंजन सिंह की पैतृक संपत्ति होकर उनके पिता सोहनसिंह की मृत्यु के उपरांत बतौर वारिस के प्राप्त हुई है तथा निरंजन सिंह की मृत्यु के उपरांत उपरोक्त दर्शित निरंजन सिंह की संपत्ति पर वादीगण/आवेदकगण एवं प्रतिवादीगण/अनावेदकगण का समान अधिकार व बराबर का हिस्सा है लेकिन प्रतिवादी/अनावेदक क्रं. 2 से 5 ने निरंजन सिंह जो वसीयत लिखे जाने के समय बहुत वृद्ध हो चुके थे तथा वे बीमार रहते थे एवं कई गंभीर बीमारियों से ग्रसित थे तथा उन्हें स्वयं अपने जीवन का कोई भरोसा नहीं था इसी का लाभ उठा कर उन्हें बहला फुसला कर उपरोक्त संपत्ति में से जो बहुमूल्य संपत्तियां हैं उन्हें वसीयत में अपने नाम से लिखवाकर तथा आवेदकगण/वादीगण को केवल एक साधारण सा खाली भू-खण्ड उन्हें हिस्से में देना दर्शाया गया है जो कि अवैधानिक है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण निरंजन सिंह नरडे की उपरोक्त संपत्ति में 07 बराबर के हिस्सेदार हैं तथा निरंजन सिंह की मृत्यु दिनांक 01.08.17 को होने के उपरांत उनकी संपूर्ण संपत्ति के 1/7-1/7 हिस्से के बराबर के अधिकारी होते हैं जिसे पाने की अधिकारी वादीगण है जो कि उन्हें विरासतन हक में निरंजन सिंह की मृत्यु के बाद मिलना चाहिए था चूंकि उपरोक्त संपत्ति पैतृक संपत्ति होने से उपरोक्त संपत्ति पर निरंजन सिंह की मृत्यु पूर्व से वादीगण एवं प्रतिवादी का हिस्सा है जिसे अकेले निरंजन सिंह को वसीयत लिखने का कोई विधिक एवं नैतिक अधिकार ना होने के कारण उपरोक्त वसीयतनामा दिनांक 14.10.2014 वादीगण पर बंधनकारक नहीं है ऐसी दशा में आवेदन निरस्त किये जाने योग्य है तथा वादीगण माननीय न्यायालय से यह उद्घोषणा पाने के अधिकारी हैं कि उपरोक्त वसीयतनामा दिनांक 14.10.2014 शुन्य घोषित होकर वादीगण पर बंधनकारक नहीं है, तथा प्रतिवादीगण/अनावेदकगण द्वारा उपरोक्त संपत्ति को विक्रय या रहन आदि ना करने से स्थाई निषेधाज्ञा द्वारा निषेधित किये जाने हेतु यह वाद प्रस्तुत किया जा रहा है तथा इस वाद के अंतिम निराकरण होने तक प्रतिवादीगण/अनावेदकगण का नाम वसीयत दिनांक 14.10.2014 के आधार पर राजस्व निषेधाज्ञा द्वारा प्रतिबंधित किया जाने हेतु याचना की जा रही है, जैसा की उपरोक्त संपत्ति निरंजन सिंह के पैतृक संपत्ति है जिस पर वादीगण के एवं प्रतिवादीगण/अनावेदकगण का बराबर-बराबर 1/7-1/7 का हिस्सा है ऐसी दशा में प्रथम दृष्टया वाद आवेदकगण/वादीगण के पक्ष में है तथा यदि इस वाद के अंतिम निराकरण होने तक प्रतिवादीगण/अनावेदकगण को स्थाई निषेधाज्ञा द्वारा उपरोक्त दर्शित संपत्ति पर राजस्व प्रलेखों में अपना नाम दर्ज करवाने या उक्त संपत्ति को बेचने, रहन आदि करने से प्रतिबंधित किया जाना न्याय एवं साम्य की दृष्टि से अत्यंत आवश्यक है अन्यथा वादीगण/आवेदकगण को द्रव्य से अपूर्तनीय क्षति होगी जिसे पूरा नहीं किया जा सकेगा। साथ ही सुविधा का संतुलन भी आवेदकगण/वादीगण के पक्ष में है, ऐसी दशा में आवेदकगण/वादीगण के पक्ष में तथा प्रतिवादीगण/अनावेदकगण के विपक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा द्वारा निषेधित नहीं किया गया तो आवेदकगण/वादीगण द्वारा उद्घोषणार्थ एवं स्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत यह वाद निरर्थक हो जावेगा।

3. प्रतिवादी/अनावेदकगण क्रं. 1, 4 व 5 ने वादीगण/आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत आवेदन का जवाब प्रस्तुत करते हुए यह अभिवचन किया है कि प्रतिवादी क्र. 1 के पति का नाम निरंजन सिंह नरडे है, जिनकी मृत्यु दिनांक 01.08.2017 को हो चुकी है तथा निरंजन सिंह के पिता का नाम सोहनसिंह नरडे था तथा

सोहनसिंह नरडे के द्वारा अपने जीवनकाल में अपने पुत्रों के मध्य भूमियों का बंटवारा कर दिया गया था तथा सोहन सिंह नरडे से प्रतिवादी क्रं. 1 के पति तथा वादीगण एवं शेष प्रतिवादीगण के पिता निरंजनसिंह नरडे को मौजा वार्ड नं. 11 प. ह.नं. 13/1 बुढ़ी में कमशः खसरा नं. 8/1क, रकबा 0.899 हे. तथा ख.नं.8/1छ रकबा 0.20 हे. ख.नं.8/1ल रकबा 0.032 हे.ख.नं. 8/1ह रकबा 0.032 हे. तथा ख. नं 8/1क्ष रकबा 0.202 हे. परिवर्तित हे की भूमि प्राप्त हुई थी, जिस पर कालांतर में उनके द्वारा अपनी आवश्यकता अनुसार मकानों एवं दुकानों का निर्माण किया गया इस प्रकार निरंजन सिंह नरडे की उपरोक्त भूमि विभाजन में प्राप्त होने पर हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अंतर्गत स्व-अर्जित संपत्तियां हो गई तथा निरंजन सिंह नरडे की मालिकी व कब्जे में ग्राम बुदबुदा प.ह.नं. 21 रा.नि.म. तहसील वारासिवनी जिला बालाघाट में श्रीमती कुलदीप कोर के साथ संयुक्त स्वामित्व आधिपत्य की भूमि ख.नं.8/4 रकबा 0.041 हे. है तथा उपरोक्त सभी संपत्तियां निरंजनसिंह नरडे की स्वअर्जित संपत्तियां ही मानी जायेगी तथा निरंजन सिंह नरडे के द्वारा अपनी उपरोक्त भूमियों को अफरा तफरी होने से बचाने के आशय से अपनी पूर्ण स्वस्थचित अवस्था में पूर्ण होशों हवाश में अपने वारसानों के मध्य भविष्य में विवाद न हो इस कारण साक्षियों के समक्ष दिनांक 14.10.2014 को वसीयत नामा निष्पादित करते हुए उसे उपपंजीयक कार्यालय बालाघाट में पंजीकृत करवाया गया तथा अपनी सभी भूमियों की व्यवस्था की गई इस प्रकार स्व. निरंजन सिंह नरडे के द्वारा अपनी स्वतंत्र इच्छा से सही मानसिक और शारीरिक दशा में अपनी भूमियों के बाबद् में उनकी मृत्यु के उपरांत व्यवस्था करने की आशय से वसीयत नामा निष्पादित किया गया है तथा निरंजन सिंह नरडे की स्वतंत्र इच्छा के अनुसार ही अब उनके वारसान वसीयत नामा दिनांक 14.10.2014 के अनुसार भूमियां प्राप्त करने के अधिकारी है तथा निरंजन सिंह नरडे के द्वारा वसीयत नामा निष्पादित करने के उपरांत उसकी जानकारी अपने वारसानों को विधिवत् दी गई थी तथा वादीगण को भी इस तथ्य की जानकारी थी कि निरंजन सिंह नरडे के द्वारा अपनी स्व. अर्जित भूमियों के संबंध में विधिवत् वसीयतनामा निष्पादित किया गया है किंतु निरंजनसिंह नरडे के जीवनकाल में वादीगण या किसी अन्य वारसान के द्वारा कोई आपत्ति या उजर नहीं की गई तथा उनकी मृत्यु के उपरांत वादीगण के द्वारा दुर्भावना पूर्ण रूप से उनसे निरंजन सिंह नरडे के इच्छा के विपरित यह वाद माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। अतः वसीयतनामा दिनांक 14.10.2014 वादीगण एवं शेष वारसानों पर बंधनकारी है।

4. प्रतिवादी/अनावेदक ने आगे यह भी अभिवचन किया है कि यदि निरंजन सिंह नरडे की मृत्यु निर्वसियती के रूप में होती है तब ही हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 का आर्कषण होता है किंतु निरंजन सिंह नरडे के द्वारा विधिवत् वसीयतनामा निष्पादित किया गया है और उक्त वसीयतनामा निरंजनसिंह नरडे के सभी वारसानों पर बंधनकारी है ऐसी स्थिति में निरंजनसिंह नरडे की वादग्रस्त संपत्तियों का समान अनुपात में हक व हिस्से की घोषणा नहीं की जा सकती और वसीयतनामा को अवैध एवं शुन्य घोषित नहीं किया जा सकता है। अतः वादीगण/आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत आवेदन सव्यय निरस्त किया जावे।

5. अनावेदक/प्रतिवादी क्रं. 2 ने आवेदक/वादी की ओर से प्रस्तुत आवेदन का जवाब प्रस्तुत करते हुए यह कथन किया है कि वसीयतनामा में उसका

नाम उल्लेखित जरूर है, लेकिन उक्त भूमि का आधा हिस्सा स्व. निरंजनसिंह जी ने पूर्व से ही इस अनावेदक से पूर्ण मुआवजा प्राप्त करके कब्जा इस अनावेदक को सौंप चुका है तथा वर्तमान में उक्त भूमि पर इस अनावेदक का ही कब्जा एवं मालिकी है। आवेदकगण का आवेदन आधारहीन है न तो उनके पक्ष में प्रथम दृष्टया प्रकरण है, न ही सुविधा का संतुलन और न ही अपूर्णीय क्षति का बिन्दु ही। यह सही है कि प्रतिवादी कं. 5 को अधिक हिस्सा मिला है, उससे इतनी भूमि कम होकर इस अनावेदक के हिस्से में भी आनी चाहिए थी तथा आवेदक का आवेदन निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

6. अनावेदक/प्रतिवादी कं. 3 ने आवेदक/वादी की ओर से प्रस्तुत आवेदन का जवाब प्रस्तुत करते हुए यह कथन किया है कि प्रतिवादी और वादी के पिता निरंजनसिंह के पुत्रों में पुत्र अमृतसिंह सबसे ज्यादा चालाक और उत्तण्ड प्रवृत्ति का व्यक्ति है तथा लामता पुलिस थाना कांड में सजा भी हो चुकी है, और उसका नाजायज फायदा उठाकर हमेशा ही पूरे परिवारजनों को तंग व परेशान करते रहता है, और इस कारण से प्रतिवादी कं. 3 द्वारा प्रतिवादी कं. 2 और उसके परिवार के खिलाफ 24.01.1987 को भी पुलिस थाना बालाघाट में रिपोर्ट की गई थी कि वह अपनी बाउन्ड्री दिवाल बना रहा था उस समय भी तोड़फोड़ किया था और जान से मारने की धमकी दी थी तथा इसके पूर्व प्रतिवादी कं. 3 की पत्नि ने 30.03.2009 को भी प्रतिवादी कं. 2 के विपक्ष कोतवाली थाना बालाघाट में उसके द्वारा किये जा रहे आपराधिक कार्य के कारण रिपोर्ट की थी, हमेशा ही प्रतिवादी कं. 2 सारे परिवार को अपने आतंक से परेशान करते रहा है इस कारण से 29.01.2017 को प्रतिवादी कं. 3 एवं पिता निरंजन सिंह की ओर से भी प्रतिवादी कं. 2 के खिलाफ रिपोर्ट भी की गई थी एवं दिनांक 13.04.2017 और 15.04.2017 को भी प्रतिवादी कं. 2 के विपक्ष रिपोर्ट की गई थी। प्रतिवादी कं. 2 जो उत्तण्ड प्रवृत्ति का व्यक्ति है ने प्रतिवादी कं. 4 राजेन्द्रसिंह और प्रतिवादी कं. 5 बक्सीस सिंह के विपक्ष झूठी रिपोर्ट किया था और बाद में उनसे पैसा वसूल कर प्रकरण खारिज करवाया और हमेशा ही यह धमकी देते रहा है कि जब तक पिताजी पुरी संपत्ति उसके हक में न कर देवे, वह सभी लोगों को प्रताड़ित करते रहेगा और उसके आतंक के कारण पिताजी बहुत भयभीत रहते रहे हैं, जबकि पिताजी के व्यवहार प्रकरणों में उसके द्वारा पैरवी की जाती रही है और उनकी बीमारी में पूरा सहयोग करते रहा है, तब भी पिताजी द्वारा यह नहीं बताया गया कि उनके द्वारा संपत्ति वसीयत कर दी गई है, जबकि प्रतिवादी कं. 2 के आतंक के कारण मौखिक रूप से संपत्ति की व्यवस्था कर उन्हें दी गई थी, जिस पर वह काबिज है और अपना मकान निर्माण किया है, उसमें भी उसके भाई द्वारा जबरन उसके हिस्से में अतिक्रमण कर लिया गया है, तथाकथित वसीयत झूठी पोल फर्जी है जो उन्हें स्वीकार नहीं है। अतः आवेदन निरस्त किया जावे।

7. विचारणीय प्रश्न निम्न हैं :-

- 1— क्या प्रथमदृष्टया मामला वादीगण/आवेदकगण के पक्ष में सुदृढ़ है ?
- 2— क्या सुविधा का संतुलन वादीगण/आवेदकगण के पक्ष में है ?
- 3— क्या वादीगण/आवेदकगण को अपूर्णनीय क्षति होने की संभावना है ?

सकारण निष्कर्ष

विचारणीय प्रश्न क्रं. 1, 2, 3 के संबंध में:-

8. सुविधा की दृष्टि से तीनों विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है। आवेदकगण/वादीगण ने यह वाद मृतक निरंजनसिंह की पुत्रियां होने के आधार पर अपनी माता और चारों भाई 2 लगायत 5 के विरुद्ध इस आधार पर प्रस्तुत किया है कि वादग्रस्त भूमियां निरंजनसिंह की पैत्रिक रूप से प्राप्त हुई थी और निरंजनसिंह के द्वारा अपनी दोनों पुत्रियों और पुत्रों के नाम पर दिनांक 14.10.14 को वसीयत लिखते हुए सभी के नाम बंटवारा किया गया था, किंतु निरंजनसिंह के द्वारा जब पंजीयत वसीयतनामा लिखा गया था, तब वह अत्यधिक वृद्ध होकर गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो गये थे और उनकी इस अवस्था का लाभ उठाते हुए प्रतिवादी क्रं. 2 लगायत 5 ने बहुमूल्य संपत्तियां वसीयत में अपने नाम लिखाकर तथा केवल एक साधारण सा खाली भूखण्ड उन्हें देने का उल्लेख वसीयत में कराया गया है, जबकि वादीगण भी अन्य प्रतिवादीगण के समान 1/7 हिस्सा प्राप्त करने के अधिकारी हैं, उक्त वसीयत उन पर बंधनकारक नहीं है, इसलिए प्रकरण के अंतिम निराकरण तक वसीयत दिनांक 14.10.14 के आधार पर राजस्व अभिलेख में प्रतिवादीगण/अनावेदकगण का नाम दर्ज नहीं किये जाने बाबत अंतिम निराकरण तक अस्थाई निषेधाज्ञा द्वारा प्रतिबंधित किया जावे।

9. अनावेदक/प्रतिवादी क्रं. 1, 4 व 5 की ओर से यह अभिवचन किया गया है कि निरंजनसिंह की मृत्यु 01.08.17 को हो चुकी है और उनके द्वारा जीवित अवस्था में ही अपने सभी पुत्रगण तथा पुत्रियों के माध्यम बंटवारा किया जा चुका था और उसी के हिसाब से सभी अपनी संपत्ति पर काबिज हैं, निरंजनसिंह के द्वारा अपनी सही मानसिक स्थिति और मनोदशा में वसीयत लिखवाई गई है, जिसकी पूर्व से जानकारी वादीगण को रही है, किंतु वादीगण ने निरंजनसिंह के जीवनकाल में कोई आपत्ति नहीं की और उनकी मृत्यु के उपरांत निरंजनसिंह की इच्छा के विरुद्ध न्यायालय में यह वाद प्रस्तुत किया है, जिसमें वसीयतनामा वादीगण एवं शेष वारसानों पर बंधनकारी है, यदि निरंजनसिंह की मृत्यु निर्वसीयत होती, तब ही हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 का आकर्षण होता है, किंतु निरंजनसिंह ने जो वसीयतनामा निष्पादित किया है, वह निरंजनसिंह के सभी वारसानों पर बंधनकारी है, ऐसी स्थिति में निरंजनसिंह नरडे की वादग्रस्त संपत्तियों का समान अनुपात में हक व हिस्से की घोषणा नहीं की जा सकता है और वसीयतनामा अवैध एवं शुन्य घोषित नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार अनावेदक/प्रतिवादी क्रं. 2 ने वसीयतनामा को सही होना बताते हुए स्वयं को प्राप्त भूमि का आधा हिस्सा निरंजनसिंह के द्वारा पूर्व में मुआवजा प्राप्त कर कब्जा प्राप्त होना बताया है, और वादी का आवेदन निरस्त किये जाने का निवेदन किया है, किंतु प्रतिवादी क्रं. 3 ने वादी का समर्थन करते हुए वसीयत को फर्जी होना बताते हुए उसे स्वीकार किये जाने में आपत्ति होना बताया है, किंतु इसके पश्चात् भी वादीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन को निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

10. वादीगण की ओर से वादग्रस्त भूमियों का खसरा, उनके द्वारा प्रतिवादीगण को दिया गया नोटिस दिनांक 18.08.17 की प्रति, पॉवर ऑफ अटार्नी, वसीयतनामा, निरंजनसिंह का मृत्यु प्रमाणपत्र, धारा 110 एम.पी.एल.आर.सी. के अंतर्गत दिये गये आवेदन की प्रति एवं नामांतरण की कार्यवाही की आदेश पत्रिकाएं

प्रस्तुत की है, जबकि प्रतिवादीगण की ओर से कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है।

11. वादीगण/आवेदकगणगण के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा यह तर्क किया गया है कि निरंजनसिंह द्वारा की गई विल फर्जी है और इसका निराकरण इसी न्यायालय के द्वारा किया जा सकता है, राजस्व न्यायालय के द्वारा नहीं। अपने तर्क के समर्थन में न्यायदृष्टांत राजेन्द्र कुमार विरुद्ध छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य 2008(5) एम.पी.एच.टी. (छ.ग.) 23 प्रस्तुत किया है। इसी प्रकार अनावेदकगण 1, 4, 5/प्रतिवादीगण की ओर से यह आपत्ति प्रस्तुत की गई है कि वादीगण का वादग्रस्त भूमि पर कब्जा नहीं है और अस्थाई व्यादेश के लिए कब्जा होना आवश्यक है, इसलिए वह अस्थाई व्यादेश के हकदार नहीं है। अपने तर्क के समर्थन में न्यायदृष्टांत कमलकुमार विरुद्ध मध्यप्रदेश राज्य एम.पी.डब्ल्यू.एन.(165) 1986 एवं श्रीमती पुष्पाबाई विरुद्ध श्रीमती आशासिंग एम.पी.डब्ल्यू.एन.(93) 1993(11) प्रस्तुत किये हैं। प्रतिवादीगण/अनावेदकगण की ओर से कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है।

12. वादीगण की ओर से वसीयतनामा प्रस्तुत किया गया है, जिसमें निरंजनसिंह की पत्नी और 4 पुत्र एवं 2 पुत्रियों के नाम संपत्ति का वसीयत किया गया है। उक्त भूमियां निरंजनसिंह नरडे के स्वत्व की है या पैत्रक भूमि है, इस प्रश्न का निराकरण भी इस स्टेज पर नहीं किया जा सकता है एवं वसीयत दिनांक 14.10.14 को निष्पादित पंजीकृत वसीयतनामा विधिपूर्ण है या नहीं है, उक्त प्रश्न का निराकरण इस स्टेज पर नहीं किया जा सकता, उक्त प्रश्नों का निराकरण उभय पक्ष की साक्ष्य आने पर ही किया जा सकता है, किंतु यह तथ्य अभिलेख पर है कि उक्त भूमियां निरंजनसिंह की है और वादी और प्रतिवादीगण उसके विधिक उत्तराधिकारी हैं तथा निरंजनसिंह की मृत्यु के पश्चात् निश्चित समयावधि में उसकी भूमि के संबंध में नामांतरण कार्यवाही की जानी है, तथा वादी एवं प्रतिवादीगण की स्थिति सह स्वामी की है, और सभी उक्त भूमि के आधिपत्य में है। अतः सहस्वामी के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है।

13. वसीयतनामे के आधार पर नामांतरण कार्यवाही की जा रही है, चूंकि वसीयतनामे के अवैध या फर्जी होने के संबंध में निराकरण साक्ष्य उपरांत होना है, और वादीगण निरंजनसिंह के उत्तराधिकारी हैं। अतः प्रथम दृष्टया मामला वादीगण के पक्ष में दिखाई देता है, यदि प्रतिवादीगण के द्वारा उक्त भूमि को विक्रय किया जाता है तो वाद बाहूल्यता बढ़ने की संभावना है और निश्चित रूप से वादीगण को प्रतिवादीगण के मुकाबले अत्यधिक असुविधा होने की भी संभावना है। अतः सुविधा का संतुलन एवं अपूर्ण क्षति का सिद्धांत भी वादीगण के पक्ष में दिखाई देता है। अतः प्रकरण के अंतिम निराकरण तक प्रतिवादीगण को उक्त वसीयतनामा से प्राप्त भूमि को विक्रय करने या अन्य कहीं अंतरण करने से निषेधित किये जाने का आदेश दिया जाना विधिसंगत प्रतीत होता है।

14. अतः आवेदकगण/वादीगण का आवेदन आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर अनावेदकगण/प्रतिवादीगण को प्रकरण के अंतिम निराकरण तक वसीयतनामे में उल्लिखित भूमियों को विक्रय या अन्य किसी प्रकार से अंतरण किये जाने हेतु निषेधित किया जाता है।

15. अतः अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों स्तंभ आवेदकगण/वादीगण के पक्ष में होने से आवेदकगण/वादीगण का उक्त आवेदन अतर्गत आदेश-39 नियम 1 व 2 सी.पी.सी. आई.ए.नंबर-1 का विधिसंगत होने से **स्वीकार** किया जाता है।

16. इस आदेश का प्रभाव प्रकरण के अंतिम निराकरण पर नहीं पड़ेगा।
आदेश खुले न्यायालय में दिनांकित व मेरे वक्तव्य पर टंकित किया गया।
हस्ताक्षरित कर पारित किया गया।

सही /—
(अपर्णा आर.शर्मा)
तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1
बालाघाट (म.प्र.)

सही /—
(अपर्णा आर. शर्मा)
तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1
बालाघाट (म.प्र.)